न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 59 / 2018

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

1– मोहनलाल पुत्र श्री तेजाराम मेघवाल आयु व्यस्क पेशा खेती नि. आमलारी
2– रमेशलाल पुत्र श्रश्री मोडाराम मेघवाल आयु व्यस्क पेशा खेती नि.सिलदर
3– तेजाराम पुत्र श्री पोसाराम जी सरगडा आयु व्यस्क पेशा खेती नि.सिलदर तहसील व जिला सिरोही

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री प्रकाश कुमार माली, वकील प्रार्थी
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) राज.काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 20–7–2018

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 3–3–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील सिरोही मे आई हुई है जिसके खसरा नंबर 866, 867, रकबा क्रमशः 0.1500, 1.0200 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1700 हैक्टेयर है। उक्त कृषि आराजी हम तथा हमारे परिवार के सदस्य सहखातेदार धारण करते है। तथा उक्त आराजी पपर काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरणपोषण करते है। हमे अपनी उक्त कृषि आराजी पर आने जाने के लिये तथा मवेशी, गाय, व बैल, तथा भैसों के तथा ट्रेक्टर, बैलगाडी व अन्य वाहन के आने के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है। उक्त आराजी मे आमलारी मे स्थित है, जहाँ पर प्रार्थीगण के खातेदारी मे आने जाने के लिये खसरा नंबर मौजा आमलारी पटवारी हल्का आमलारी के खसरा संख्या 877 रकबा 7.9300 हैक्टेयर की आराजी मेसे स्थित रास्ते से आते जाते थे, जो वर्तमान मे अप्रार्थी राजस्थान सरकार से हम प्रार्थीगण की आरासजी मे स्वंय के आने जाने तथा खेती की झुताई के लिये वाहन ट्रेक्टरव पशुओ को लाने ले जाने के लिये रास्ता चाहते है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दर्ज हो सकें । अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का स्वीकार फरमाकर मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील सिरोही के खसरा नंबर 877 की आराजी मेसे प्रार्थीगण को उसकी आराजी मे आने जाने हेतु 40 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी तक पहुँचने के लिये दिलाने के आदेश प्रदान करावें ताकि राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो सकें, तथा अन्य कोई भी अनुतोष जो प्रार्थीगण के हित मे न्यायोचित हो दिलाने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2073 से 2076 नया खाता नंबर 457 के खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No

नंबर 866 क्षैत्रफल 0.1500 हेक्टेयर किस्म बारानी I व खसरा नंबर 867 के क्षैत्रफल 1.0200 हेक्टेयर किस्म बारानी I कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 1.1700 हेक्टेयर व नक्शा कश्तवार व अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी ( तहसीलदार-सिरोही ) के राज्य सरकार के बिलानाम खाते की मौजा आमलारी की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता नंबर 01 श्री सरकार खसरा नंबर 877 रकबा 7.93 हेक्टेयर किस्म गै.मु.मगरी का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से आश्वस्त होने से दिनांक 1-6-2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई दिनांक 13-6-2018 को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार-सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे संक्षेप मे यह कथन किया कि ग्राम आमलारी मे खातेदार मोहनलाल पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी आमलारी-रमेशलाल पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल सा.सिलदर तेजाराम पुत्र पोसाराम जाति सरगडा सा. सिलदर के नाम से संयुक्त खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जिसके खसरा नंबर कमशः 866-867 रकबा कमशः 0.15 व 1.02 हेक्टेयर है। उक्त खसरा नंबर 866-867 व मूल रास्ता जिसके खसरा नंबर 787 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता के मध्य राजकीय बिलानाम भूमि आयी हुई है-जिसके खसरा नंबर 877 रकबा 7.93 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरी है। उपरोक्त सभी अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 866 व 867 पर आने जाने हेतू राजकीय बिलानाम भूमि जिसके खसरा नंबर 877 का उपयोग करते है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नंबर 866 व 867 पर आने जाने हेतू किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित है। मौके के अनुसार खसरा नंबर 877 राजकीय बिलानाम भूमि पर रास्ता बना हुआ है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है। श्रीमान द्वारा प्रार्थी को रास्ता देने पर खसरा नंबर 877 किस्म गै.मु. मगरी कूल रकबा 7.93 हेक्टेयर मे रास्ता "ए""बी" हेतू कुल 60 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा बराबर 240 वर्गमीटर या 0.0240 हैक्टेयर बनता है। प्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते का रकबा 240 वर्गमीटर का वर्तमान बाजार मूल्य से दुगुनी राशि राजकोष मे जमा करवाने को तैयार है। उक्तानुसार तहसीलदार-सिरोही ने प्रार्थीगण को रास्ता देना उचित बताया है।

विचारण प्रकरण वास्ते प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार की बहस हेतु दिनांक 20-7-2018 को न्यायालय मे रखा गया । जिस पर वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे उक्त प्रार्थनापत्र अ.धा. 251(क) आर.टी. एक्ट मे अंकित तथ्यों की पुनरावतृति करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील सिरोही मे आई हुई है जिसके खसरा नंबर 866-867-रकबा कमशः 0.1500-1.0200 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1700 हैक्टेयर है। उक्त कृषि आराजी हम तथा हमारे परिवार के सदस्य सहखातेदार धारण करते है। तथा उक्त आराजी पपर काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरणपोषण करते है। हमे अपनी उक्त कृषि आराजी पर आने जाने के लिये तथा मवेशी-गाय-व बैल-तथा भैसों के तथा ट्रेक्टर-बैलगाडी व अन्य वाहन के आने के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है। उक्त आराजी मे आमलारी मे स्थित

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No3

है,जहॉ पर प्रार्थीगण के खातेदारी मे आने जाने के लिये खसरा नंबर मौजा आमलारी पटवारी हल्का आमलारी के खसरा संख्या 877 रकबा 7.9300 हैक्टेयर की आराजी मेसे स्थित रास्ते से आते जाते थे,जो वर्तमान मे अप्रार्थी राजस्थान सरकार से हम प्रार्थीगण की आरासजी मे स्वंय के आने जाने तथा खेती की झुताई के लिये वाहन ट्रेक्टरव पशुओ को लाने ले जाने के लिये रास्ता चाहते है,जिसका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दर्ज हो सकें । अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का स्वीकार फरमाकर मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील सिरोही के खसरा नंबर 877 की आराजी मेसे प्रार्थीगण को उसकी आराजी मे आने जाने हेतु 40 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी तक पहुॅचने के लिये दिलाने के आदेश प्रदान करावें ताकि राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो सकें,तथा अन्य कोई भी अनुतोष जो प्रार्थीगण के हित मे न्यायोचित हो दिलाने के आदेश प्रदान करावें ।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे तहसीलदार,सिरोही के उक्त जवाब मे अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये निवेदन किया कि ग्राम आमलारी मे खातेदार मोहनलाल पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी आमलारी,रमेशलाल पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल सा.सिलदर तेजाराम पुत्र पोसाराम जाति सरगडा सा. सिलदर के नाम से संयुक्त खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जिसके खसरा नंबर क्रमशः 866,867 रकबा क्रमशः 0.15 व 1.02 हेक्टेयर है। उक्त खसरा नंबर 866,867 व मूल रास्ता जिसके खसरा नंबर 787 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता के मध्य राजकीय बिलानाम भूमि आयी हुई है,जिसके खसरा नंबर 877 रकबा 7.93 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरी है। उपरोक्त सभी अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 866 व 867 पर आने जाने हेतू राजकीय बिलानाम भूमि जिसके खसरा नंबर 877 का उपयोग करते है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नंबर 866 व 867 पर आने जाने हेतू किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित है। मौके के अनुसार खसरा नंबर 877 राजकीय बिलानाम भूमि पर रास्ता बना हुआ है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है। श्रीमान द्वारा प्रार्थी को रास्ता देने पर खसरा नंबर 877 किस्म गै.मु. मगरी कूल रकबा 7.93 हेक्टेयर मे रास्ता "ए""बी" हेतू कुल 60 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा बराबर 240 वर्गमीटर या 0.0240 हैक्टेयर बनता है। प्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते का रकबा 240 वर्गमीटर का वर्तमान बाजार मूल्य से दुगुनी राशि राजकोष मे जमा करवाने को तैयार है। उक्तानुसार तहसीलदार ,सिरोही ने प्रार्थीगण को रास्ता देना उचित है। विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क,आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस गंभीरता से सुनकर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड प्रतियों का भी गहनता से अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे जाने के लिये रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर रास्ता सिवाय चक मेसे दिया जाना उचित है। विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही के सिवाय चक उक्त खसरा नंबर 877 किस्म गै.मु. मगरी कुल रकबा 7.93 हैक्टेयर मे रास्ता नक्शा किश्तवार ट्रेस मे

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No 4

दर्शित लाल स्याही से "एबी" हेतू कुल 60 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा कुल 240 वर्गमीटर या 0.0240 हैक्टेयर जो राजकीय बिलानाम है उस मेसे प्रस्तावित मार्ग की लंबाई 60 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात कुल रकबा 240 वर्गमीटर कम कर दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी/

पेज नं.चार  रा.प्रा.पत्र सं.59/2018 अ.धा.251(क) आर.टी.एक्ट मोहन बनाम स्टेट

ट्रेक्टर/बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थीगण द्वारा मांगी उक्त जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार /सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील सिरोही जिला सिरोही के भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) के जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता नंबर 01 बिलानाम सरकार सिवाय चक खसरा नंबर 877 क्षैत्रफल 7.93 हैक्टयर मेसे रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है जिसकी लुबाई 60 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 240 वर्गमीटर होता है। उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की किमत प्रार्थीगण द्वारा खातेदार अप्रार्थी स्टेट भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार/सिरोही को नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर रास्ता सिवाय चक मेसे दिया जाना उचित है। अतः उक्तानुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थीगण द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा ।उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार/सिरोही को आदेश दिये जाते हैः-

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रस्तावित की कीमत तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार /सिरोही को अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) की खातेदारी की उक्त बिलानाम सिवाय चक खसरा नंबर 877 क्षैत्रफल 7.93 हैक्टयर मेसे रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है जिसकी लुबाई 60 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 240 वर्गमीटर होता है जो प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 240 वर्गमीटर होता है। उक्त रास्ते की भूमि कम की गई आराजी को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 20-7-2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

20/7/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

सिरोही (राज.) 307001

सिरोही